



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 706 राँची, शुक्रवार

10 अग्रहायण, 1945 (श०)

1 दिसम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

4 अक्टूबर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-12/2023-24399 (HRMS)-- श्री प्रताप टोप्पो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-291/20), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गारू, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-69/स्था0, दिनांक 02.02.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 07.12.2022 तक 44% मानव दिवस सृजन करने; दिनांक 07.12.2022 तक वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के Rejected Transaction का मात्र 42% Regenerate करने; लंबित कूप निर्माण योजना 176 के विरुद्ध मात्र 11 कूपों को पूर्ण कराने; मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत निर्माणाधीन एक भी शेड को पूर्ण नहीं कराने; श्रमिकों को विलंब से भुगतान करने; श्रमिकों को 100 दिनों का कार्य उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने; मनरेगा अन्तर्गत वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत बन रहे खेल मैदान में मात्र 01 योजना पूर्ण करने एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1491, दिनांक 13.03.2023 द्वारा श्री टोप्पो से स्पष्टीकरण की माँग की गई है। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-2901, दिनांक 19.05.2023 द्वारा स्मारित किया गया, परन्तु उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

श्री टोप्पो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-3690, दिनांक 28.06.2023 द्वारा श्री टोप्पो से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है।

श्री टोप्पो के पत्रांक-623, दिनांक 07.08.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया कि-
(i) मनरेगा एक माँग आधारित योजना है तथा श्रमिकों के माँग के आधार पर कार्य उपलब्ध कराया जाता है। प्रखण्ड अंतर्गत अधिक से अधिक मानव दिवस सृजन हेतु लगातार प्रयास किया गया है। इस निमित्त सप्ताह में 2 दिन रोजगार दिवस, साप्ताहिक समीक्षा बैठक, क्षेत्र भ्रमण एवं मनरेगा योजनाओं से अधिक से अधिक युवाओं एवं महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके फलस्वरूप 29 मार्च 2023 को मानव दिवस सृजन में लक्ष्य का 86% प्राप्त कर लिया गया है, जो जिला में न्यून प्रगति करने वाले प्रखण्ड में शामिल नहीं है।

(ii) महिला श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी इनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया है। फलस्वरूप जिला के औसत प्रगति 47% है, जिसके विरुद्ध प्रखण्ड में 44% महिलाओं को कार्य उपलब्ध कराया गया है। गारू प्रखण्ड में कुल 3021 महिला मजदूरों की संख्या है।

(iii) प्रखण्ड गारू के कुल Rejected Transaction का मात्र 42% ही सफलतापूर्वक रीजेनरेट के संबंध में इनके द्वारा कहा गया है कि प्रखंड गारू से पृथक हुए सरयू प्रखंड का एमआईएस पूर्णतः अलग नहीं होने के कारण प्रखंड का रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन का रीजेनरेशन 42% था। उक्त तकनीकी त्रुटि के निराकरण हेतु इनके द्वारा उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार को पत्राचार किया गया था। जिलास्तर से त्रुटि निराकरण नहीं किए जाने के कारण रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन का मामला लंबित था। लंबित रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन सरयू प्रखंड से संबंधित था, जो मनरेगा पोर्टल में गारू प्रखंड के एमआईएस रिपोर्ट में प्रदर्शित हो रहा था। दिनांक 29.03.2023 तक मात्र 36 ट्रांजेक्शन रीजेनरेट करने हेतु लंबित थे, जो सरयू प्रखंड से संबंधित है।

(iv) मनरेगा अन्तर्गत कुल लंबित कूप निर्माण योजना 176 के विरुद्ध मात्र 11 कूपों को पूर्ण कराया गया है, के संबंध में इनके द्वारा कहा गया कि गारू प्रखंड अंतर्गत कुल 149 चालू कूप योजनाओं के विरुद्ध 77 कूप योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया है, जो कुल चालू कूप योजनाओं का 51.67% है।

(v) मनरेगा अन्तर्गत सामग्री मद में राशि उपलब्ध न रहने के कारण कूप एवं शेड निर्माण योजनाएँ भौतिक रूप से पूर्ण रहने के पश्चात् भी मनरेगा साफ्ट में पूर्ण नहीं किया जा सका था। 8 फरवरी 2023 तक पशु शेड की कुल 37 स्वीकृत योजनाओं में 22 योजनाएं चालू थी, जिसमें 16

पशु शेड योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण कर दिया गया है। इसी प्रकार मनरेगा अन्तर्गत विलंब से भुगतान करने के कारण तत्कालीन प्रभारी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-रोजगार सेवक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रभार से कार्यमुक्त कर दिया गया है। मनरेगा अंतर्गत वीर शहीद पोदो हो खेल विकास योजना के तहत बन रहे खेल मैदान दिनांक 29.03.2023 तक प्रखंड में कुल पांच योजनाओं को पूर्ण करा लिया गया है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 83% है, जो जिले के सभी प्रखंडों की तुलना में सर्वाधिक है।

श्री टोप्पो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित तिथि 07.12.2022 के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2022-23 के समाप्ति तक मनरेगा योजनाओं अन्तर्गत निर्धारित सभी मापदण्डों में अपेक्षित प्रगति की गई है।

अतः समीक्षोपरांत श्री प्रताप टोप्पो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गारू, लातेहार द्वारा स्पष्टीकरण में समर्पित तथ्यों एवं संबंधित साक्ष्यों के आलोक में प्रस्तावित दण्ड असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRATAP TOPPO 110081163853	श्री प्रताप टोप्पो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गारू, लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
